APP
Crll

FORM No.111
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बसवा

मुकदमा राम खिलाड़ी बनाम रामदयाल

विविध नं. 24 सन 2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल किया गया, पत्रावली बाद इन्द्राज होकर शामिल रिकॉर्ड होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	[seal: ... एवं उप जिला ... बसवा (दौसा)]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या विविध 24/2022 (130/2022)
प्रकरण रज्जु दिनांक : 16.06.2022
निर्णय दिनांक :— 22.07.2024

प्रकरण :— प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 43 राज.काश्तकारी अधि. पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
(प्रार्थी)

बनाम

1. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
2. बालूराम पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
3. धनपाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
5. रामफूल पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
6. लौहडिया पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
7. मोहरपाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
8. पूरण पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
9. टुण्डाराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
10. कुशाल पुत्र छोट्याजाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
11. रतनलाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
12. राजेन्द्र पुत्र पून्या जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा
13. नौरतराम पुत्र चन्दा जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
14. प्रभातीलाल पुत्र चंदा जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
15. रामस्वरूप पुत्र चंदा जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा
16. भूमि अधिकारी तहसीलदार महोदय बसवा जिला दौसा राजस्थान
17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा बसवा तहसील बसवा जिला—दौसा

(अप्रार्थीगण)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 22.07.2024

उपस्थिति :—1. प्रार्थीगण की ओर से
एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर
2. प्रतिवादी/अप्रार्थीगण 1 लगायत
4 की ओर से श्री के.कमलसिंह,
श्री जगदेव कसाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]55 की धारा 43 के तहत जरिये एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर के, विरुद्ध अप्रार्थी [illegible] के [illegible] किया । प्रा.पत्र में प्रार्थी द्वारा अंकन किया है कि भूमि खाता स[illegible] की आराजी खसरा नंबर 1015 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1016 रकबा [illegible]/1818 रकबा 0.02 हैक्टयर, 1028/1819 रकबा 0.02 हैक्टयर, 1029 रकबा 0.05 है[illegible]र, 1030 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1031 रकबा 0.03 हैक्टयर, 1032 रकबा 0.10 हैक्टयर, 1033 रकबा 0.12 हैक्टयर, 1034 रकबा 0.10 हैक्टयर, 1035 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 0.62 हैक्टयर ग्राम ऐचेडी में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है, भूमि अभी भी प्रार्थी के पिता के नाम है एवं प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है । इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के ही

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

खाता संख्या 242 पुराना 227 खसरा नंबर 833 रकबा 0.30 हैक्टयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है । इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या नया 226 पुराना 260 के आराजी खसरा नंबर 921 रकबा 0.13 हैक्टयर, 922 रकबा 0.07 हैक्टयर, 923 रकबा 0.29 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टयर भूमि ग्राम ऐचेडी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है, जो कि प्रार्थी के पिता के नाम है एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के ही खाता संख्या नया 241 पुराना 228 के आराजी खसरा नंबर 809 रकबा 0.50 हैक्टयर, 810 रकबा 0.40 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 242, 266 व 267 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम रहन दर्ज है तबकि खाता संख्या नया 241 ग्राम ऐचेडी में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 15 तथा अप्रार्थी संख्या 17 के नाम रहन दर्ज किया हुआ है । प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 1 लगायत 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता गंगासहाय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 के पास संवत् 2008 से पहले रहन रखा था । जिसे आज करीबन 60–65 साल हो चुके हैं । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का ऋण भी चुकता कर दिया है । आज से करीबन 20–25 साव पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि का कब्जा भी सौंप दिया था तब से प्रार्थी ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है । अप्रार्थी संख्या 17 के पास प्रार्थी ने कभी भी खाता संख्या 241 को रहन नहीं रखा है ना ही अप्रार्थी संख्या 17 से प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का ऋण प्राप्त किया है, अप्रार्थी संख्या 17 के नाम प्रार्थी का खाता संख्या 241 गलत तौर पर रहन दर्शा रखा है जिसे जमाबंदी से हटाया जाना कानूनन है । इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के मुताबिक 5 वर्ष पश्चात रहन रखी गई भूमि कानूनन रहन मुक्त हो जाती है । इस कारण पैरा नंबर 1 लगायत 4 में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रहन कानूनन अब समाप्त हो चुका है । इस कारण जमाबंदी में दर्ज रहन के इन्द्राज को हटाये जाने के आदेश फरमाया जाना कानूनन न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या नया 267, 242, 266 व 241 वाके ग्राम ऐचेडी तहसील बसवा में प्रार्थी के हिस्से का अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रहन के नोट को हटाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें ।

उक्त प्रा.पत्र प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बाद तामील, उनकी ओर से एडवोकेट श्री के.कमलसिंह एवं श्री जगदेव कसाना उपसिथत आए । अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 17 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश किया गया कि बिन्दु संख्या 1 स्वीकार नहीं है उक्त पैरा में दर्ज भूमि का हिस्सा 1/3 की खातेदारी रामखिलाडी याची ने अपने पिता के नाम कतई गलत दर्ज कराकर गलत दावा पेश किया है । उक्त पैरा में दर्ज भूमि में हिस्सा 1/3 का याची अथवा उसके पिता कभी खातेदार नहीं रहे । उक्त भूमि में हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार हम प्रतिवादीगण तथा उनके पिता एवं बुजुर्ग रामचन्दर रहते चले आ रहे हैं । जिनके नाम खातेदारी भी इसी अनुसार दर्ज रिकोर्ड रहती चली आ रही है । याची रामखिलाडी अथवा उसके पिता गंगासहाय अथवा उसके बुजुर्गान का उक्त भूमि में कभी कोई कब्जा अथवा काश्त भी नहीं रहा है । बिन्दु संख्या 2 भी अस्वीकार है । उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 की खातेदारी रामखिलाडी याची ने अपने पिता के नाम कतई गलत प्रकार दर्ज कराकर गलत दावा पेश किया है उक्त पैरा में दर्ज भूमि में हिस्सा 1/3 का याची अथवा उसका पिता कभी खातेदार नहीं रहा है तथा उक्त भूमि के हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार हम प्रतिवादीगण तथा उनके पिता एवं बुजुर्ग रामचन्दर रहते चले आ रहे हैं जिसनके नाम खातेदारी भी इसी अनुसार चली आ रही है । बिन्दु संख्या 3 को भी अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किया है एवं अंकन किया है कि याची रामखिलाडी अथवा उसके पिता गंगासहाय अथवा उसके बुजुर्गान का उक्त भूमि में कभी कोई कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:41:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अथवा काश्त भी नहीं रहा है । बिन्दु संख्या 4 लगायत 12 को भी अस्वीकार करते हुए, प्रा.पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया है ।

हमने बहस उभय पक्षकारान की सुनी । दोनों ही अधिवक्तागण द्वारा अपने–अपने पक्ष के तर्क दिये । वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में इस तथ्य पर जोर दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति की भूमि किसी दीगर व्यक्ति के नाम रहन रखी हुई है, एवं इस रहन को 5 वर्ष से अधिक कालावधि व्यतीत हो चुकी है, तो रहनग्रहणकर्ता व्यक्ति के संबंध में यह माना जावेगा कि उसकी रहन राशि व अन्य व्यय उसके द्वारा रहनकर्ता काश्तकार से रहन भूमि की उपज से प्राप्त कर लिये हैं एवं ऐसी दशा में 5 साल बाद रहन हटाने के स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं । इस आधार पर इस भूमि का 5 वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने से अब इस भूमि में जो रहन का अंकन किया हुआ है उसे हटाया जावें । वहीं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस में कहा गया कि उक्त भूमि कभी याची अथवा उसके पिता की रही ही नहीं है । त्रुटिवश जमाबंदी में रहन का अंकन किया हुआ है । इसलिए राजस्व रिकोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जावे ।

दिनांक 19.7.2024 को अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र द्वारा एक प्रा.पत्र न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में यद्यपि न्यायालय हाजा में दिनांक 22.7.2024 नियत है । प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमान् अति.जिला कलक्टर महोदय दौसा के सम्मुख एक ट्रांसफर एप्लीकेशन दिनांक 19.7.2024 को पेश कर दी है किंतु पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण, नकल प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए कार्यवाही स्थगित करने की कृपा करें ।

हमने आज दिनांक 22.7.2024 को इस प्रा.पत्र पर गौर किया, प्रा.पत्र का सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर यह अंकन शुन्य है कि न्यायालय अति.जिला कलक्टर दौसा की स्थानांतरण प्राप्त की नकले श्रीमान् ए.डी.एम साहब के अवकाश पर रहने के कारण प्राप्त नहीं हो सकी है । माननीय न्यायालय अति.जिला कलक्टर दौसा उनके न्यायालय की नकलों पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं करते हैं । द्वितीय आज दिनांक 22.7.2024 को अपराह्न 6 बजे का वक्त हो चला हैं प्रा.पत्र देहन्दा द्वारा आज भी कोई स्थानांतरण प्रा.पत्र की नकल प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी दशा में लाजिमी है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.7.2024 के प्रा.पत्र को खारिज किया जावे । अतः प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 19.7.2024 को खारिज किया जाकर, शामिल पत्रावली किया जाता है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि खाता संख्या नया 267 पुराना 261 के आराजी खसरा नंबर 1015 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1016 रकबा 0.10 हैक्टयर, 1027/1818 रकबा 0.02 हैक्टयर, 1028/1819 रकबा 0.02 हैक्टयर, 1029 रकबा 0.05 हैक्टयर, 1030 रकबा 0.06 हैक्टयर, 1031 रकबा 0.03 हैक्टयर, 1032 रकबा 0.10 हैक्टयर, 1033 रकबा 0.12 हैक्टयर, 1034 रकबा 0.10 हैक्टयर, 1035 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 0.62 हैक्टयर ग्राम ऐचेडी में प्रार्थी के पिता गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3। इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के ही खाता संख्या 242 पुराना 227 खसरा नंबर 833 रकबा 0.30 हैक्टयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टयर भूमि अंकित खातेदार रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/3 । इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 266 पुराना 260 के आराजी खसरा नंबर 921 रकबा 0.13 हैक्टयर, 922 रकबा [illegible] हैक्टयर, 923 रकबा 0.29 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टयर भूमि [illegible] के पिता का नाम गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 । इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या नया 241 पुराना 228 के आराजी खसरा नंबर 809 रकबा 0.50 हैक्टयर, 810 रकबा 0.40 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/2 के आगे अंकित राहिन शब्दों को विलोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 242, 266 व 267 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम रहन दर्ज है, उसमें से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

4 के पक्ष में राहिन की प्रविष्ठि मय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम को विलोपित किया जाता है ।

खाता संख्या नया 241 ग्राम ऐचेडी में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 15 तथा अप्रार्थी संख्या 17 के नाम रहन दर्ज किया हुआ है । उसमें से अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 15 मय अप्रार्थी संख्या 17 के नाम की प्रविष्ठि राहिन शब्द सहित विलोपित किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के तहत आदेश दिये जाते हैं कि :–

1. ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 267 में वर्तमान प्रविष्ठि "गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 जाति मीना साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल, बालूराम, धनपाल पि.रामचन्द्र लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र तेजा पत्नी रामचन्द्र" में से "राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल, बालूराम, धनपाल पि.रामचन्द्र लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र तेजा पत्नी रामचन्द्र" विलोपित किया जाकर केवल "गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/3 जाति मीना साकिन देह खातेदार" के अंकन हेतु आदेशित किया जाता है ।

2. इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 242 में अंकित प्रविष्ठि "रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा–1/3 जाति मीना सा.दहे खातेदार राहिन हिस्सा–1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल, बालूराम, लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी रामचन्द्र " में से " राहिन हिस्सा–1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल, बालूराम, लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी रामचन्द्र " को विलोपित करके, केवल "रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा–1/3 जाति मीना सा.दे खातेदार" के अंकन हेतु आदेशित किया जाता है,

3. इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 266 में अंकन "गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा–1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा – 1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल बालूराम लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी स्व.रामचन्द्र" में से " राहिन हिस्सा – 1/3 (पूर्ण खाता) रामदयाल बालूराम लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी स्व.रामचन्द्र" को विलोपित करके केवल ""गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा–1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार" का अंकन करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

4. इसी प्रकार ग्राम ऐचेडी के खाता संख्या 241 में अंकित "रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा –1/2 (पूर्ण खाता) रामफूल लौहडिया पि.रामकुंवार हि.1/24 मूल्या कुशाला पि.छोटया हि. 1/12 बिना रहन पून्या पुत्र छोटया राहिन **S.B.B.J.** शाखा बसवा चन्द्रा पुत्र सुकल्या रामदयाल बालूराम लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी स्व.रामचन्द्र जाति मीना सा.देह" में से " राहिन हिस्सा –1/2 (पूर्ण खाता) रामफूल लौहडिया पि.रामकुंवार हि.1/24 मूल्या कुशाला पि.छोटया हि. 1/12 बिना रहन पून्या पुत्र छोटया राहिन **S.B.B.J.** शाखा बसवा चन्द्रा पुत्र सुकल्या रामदयाल बालूराम लक्ष्मीनारायण धनपाल पि.रामचन्द्र तेजा पत्नी स्व.रामचन्द्र जाति मीना सा.देह" " को विलोपित करके केवल रामखिलाडी पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार" का अंकन करने हेतु आदेशित किये जाते हैं । साथ ही उक्त संबंधित बैंक का आदेशित किया जाता है कि वे राहिनग्रहणकर्ता काश्तकारों से उनका ऋण नियमानुसार वसूल करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)